

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़  
M. Rev. Case No.-07/2022-23




हरिनन्दन कुमार  
बनाम  
शम्भू नन्दन कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p><u>आदेश</u></p> <p>यह रिविजन वाद, रिविजनकर्ता हरिनन्दन कुमार, पिता-स्व० श्री प्रकाश कुमार, सा०-हरिणडांगा बाजार, थाना-पाकुड़ (नगर), जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-02/2021-22 में दिनांक-04.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध (1) शम्भू नन्दन कुमार, पिता-स्व० श्री प्रकाश कुमार, सा०-हरिणडांगा बाजार, थाना-पाकुड़ (नगर), जिला-पाकुड़ (2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ एवं (3) अंचल अधिकारी, पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।</p> <p>मामला संक्षेप में यह है कि अंचल पाकुड़ के मौजा-पाकुड़ नं०-128 के जमाबंदी सं०-10 के दाग सं०-1859 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00-03-00 धुर जमीन का नामान्तरण अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं०-809/2012-13 में दिनांक-09.01.2013 को पारित आदेश द्वारा शम्भू नन्दन कुमार, पिता-स्व० प्रकाश कुमार (इस वाद के विपक्षी सं०-01) के पक्ष में किया गया। उक्त नामान्तरण वाद में दिनांक-09.01.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध हरिनन्दन कुमार (इस वाद के रिविजनकर्ता) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय (आगे से निम्न न्यायालय लिखा जाएगा) में अपील आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर राजस्व विविध वाद सं०-02/2021-22 संस्थित किया गया। अपील वाद में दिनांक-04.08.2022 को पारित आदेश द्वारा अपील आवेदन को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ के आदेश को बरकरार रखा गया। यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया। रिविजनकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं०-1859 अन्तर्गत खरीदा गया कुल रकवा 00-09-13 धुर भूमि है, जबकि कुल 00-09-17 धुर भूमि पर दखल-कब्जा है। उक्त 00-09-13 धुर भूमि रिविजनकर्ता की माता दमयंती देवी द्वारा निबंधित विक्रय</p>	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	1
	<p>केवाला सं०-791 एवं 792, दिनांक-11.07.2000 द्वारा क्रय किया गया था। उक्त भूमि का आपसी पारिवारिक बंटवारा दिनांक-07.10.2011 को दमयंती देवी के तीन पुत्रों शम्भू नन्दन कुमार, कृष्ण नन्दन कुमार एवं हरिनन्दन कुमार के बीच हुआ, जिसमें शम्भू नन्दन कुमार को 00-03-01 धुर, कृष्ण नन्दन कुमार को 00-03-12½ धुर एवं हरिनन्दन कुमार को 00-03-03½ धुर जमीन प्राप्त हुआ। कृष्ण नन्दन कुमार को दिए गए रकवा में 4 धुर भूमि कृष्ण नन्दन कुमार एवं हरिनन्दन कुमार के भूमि के बीच गली के लिए थी। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा गलत तरीके से केवल 00-03-00 धुर भूमि का ही नामान्तरण किया गया, जबकि बंटवारा में 00-03-01 धुर भूमि शम्भू नन्दन कुमार (इस वाद के विपक्षी सं०-01) को प्राप्त हुआ था। निम्न न्यायालय में विपक्षी सं०-01 द्वारा दाखिल आवेदन में डीड सं०, आवेदन की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। बंटवारा में 00-03-01 धुर भूमि विपक्षी सं०-01 को प्राप्त हुआ, परन्तु निबंधित केवाला सं०-4992, दिनांक-22.12.2012 में केवल 00-03-00 धुर भूमि का ही निबंधन किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल-खारिज वाद सं०-809/2012-13 में वाद प्रारम्भ करने की तिथि 20.12.2012 है, जबकि निबंधित केवाला के निबंधन की तिथि 22.12.2012 है। दो दिन पूर्व ही अभिलेख प्रारम्भ किया जाता है, जो नियमानुसार गलत है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>विपक्षी सं०-01 के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग में कुल 00-09-13 धुर भूमि उनकी माता दमयंती देवी द्वारा क्रय की गई थी। क्रय करने के बाद वर्ष 2012 में दमयंती देवी द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं०-4992, दिनांक-22.12.2012 के द्वारा विपक्षी सं०-01 को रकवा 00-03-00 धुर भूमि बेच दिया गया। क्रय करने के बाद विपक्षी सं०-01 द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण भी विधिवत किया जा चुका है। रिविजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंटननामा फर्जी है। इसमें दमयंती देवी का कहीं भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है न ही इस कागज पर कहीं भी यह लिखा है कि यह पारिवारिक बंटननामा है। ऐसे भी तथाकथित बंटननामा वर्ष 2011 का बताया गया है, जबकि भूमि की मालिक द्वारा स्वयं वर्ष 2012 में विपक्षी सं०-01 को भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त तथाकथित बंटननामा अनिबंधित है, अतः इसकी कोई मान्यता कानून में नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा विधिवत दाखिल-खारिज किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।</p>	



आदेश की क्रमांक संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p>सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत दाग सं०-1859 अन्तर्गत रकवा 00-09-13 धुर भूमि दमयंती देवी (रिविजनकर्ता एवं विपक्षी सं०-01 की माता) द्वारा निबंधित केवाला सं०-791 एवं 792 दिनांक-11.07.2000 द्वारा क्रय किया गया था। क्रय करने के बाद उनके द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं०-4992, दिनांक-22.12.2012 द्वारा अपने पुत्र शम्भू नन्दन कुमार को रकवा 00-03-00 धुर भूमि बेच दिया गया। जब भूमि की मालिक द्वारा ही भूमि का विक्रय कर दिया गया तब भाईयों के बीच अनिबंधित पारिवारिक बंटननामा का कोई औचित्य नहीं है। उक्त बंटननामा में न तो दमयंती देवी का हस्ताक्षर/टिप निशान है और न ही कहीं अंकित है कि यह पारिवारिक बंटननामा है। अतः इस अनिबंधित सादे कागज पर बने पारिवारिक बंटननामा का कानून की नजर में कोई मान्यता नहीं है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा उक्त निबंधित विक्रय केवाला सं०-4992, दिनांक-22.12.2012 के आधार पर 00-03-00 धुर भूमि का नामान्तरण शम्भू नन्दन कुमार के पक्ष में किया गया है। जहां तक प्रश्न निबंधित केवाला सं०-4992 के क्रय तिथि 22.12.2012 तथा दाखिल खारिज वाद सं०-809/2012-13 के प्रारंभ करने की तिथि 20.12.2012 का है तो यह एक लिपिकीय त्रुटि है जिससे वाद के मेरिट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। यदि रिविजनकर्ता को उक्त निबंधित विक्रय केवाला से कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।</p> <p>उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।</p> <p>उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> उ.पा.यु.क्त, पाकुड़।</p> <p> उ.पा.यु.क्त, पाकुड़।</p>	<p> 26/02/2024</p>